न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 120/2019 **दायरा दिनांक : 28.08.2019**

उनवान

1– कन्हैयालाल, आयु 69 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

2– राधेश्याम आयु 66 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां मृतक –

2/1– प्रेमबाई पत्नी स्वर्गीय श्री राधेश्याम

2/2– ललित कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम, जाति कुम्हार, निवासीगण खेड़ी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

3– रघुवीर आयु 57 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

4– छोटू लाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश चन्द पुत्र श्री धूली लाल, जाति कुम्हार

2– जयप्रकाश पुत्र श्री धूली लाल, जाति कुम्हार

निवासीगण लंका कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

3– हीरालाल पुत्र श्री मांगीलाल, जाति कुम्हार, निवासी बारां तालाब पाडा बारां, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.10.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 52/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016, 15.03.2017, 25.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने प्रतिवादीगण अपीलांटगण व रेस्पोडेंट नम्बर 3 के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल में आराजी खसरा नम्बर 2971 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 2972 रकबा 1.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.34 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.35 हेक्टर आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है तथा वादग्रस्त आराजी

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उभयपक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें वादी कम 1 का हिस्सा 1/6 तथा वादी कम 2 का हिस्सा 1/6 है तथा शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज है। विवादित आराजी ग्राम बोहत के माल में बारां मांगरोल रोड़ के पश्चिमी ओर स्थित है, जो एक चक में है जिसको वादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूर्व खातेदारान से क्रय किया था, तब से आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी में शामिल खाता होने से आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में दखल अंदाजी करते हैं तथा कब्जे क़ाश्त को लेकर झगड़ा करते हैं तथा कर्ता पिलाई को लेकर भी झगड़ा होता है। शामिल खाता होने से वादीगण को आराजी पर राज्य सरकार की ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के साथ शामिल खाता नहीं रखना चाहते। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.06.2016 को ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 2971 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 2972 रकबा 1.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.34 हेक्टर कुल किता चार कुल रक़बा 3.35 हेक्टर में वादीगण का अलग अलग हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 का अलग व शेष रकबे में शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक–पृथक दर्ज करने का आदेश दिया। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 15.03.2017 को तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.2018 को तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में आराजी खसरा नम्बर 2971 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 2972 रकबा 1.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.34 हेक्टर कुल किता चार कुल रकबा 3.35 हेक्टर स्थित है। जो अपीलांटगण व अपीलांट की माता गोपीबाई और प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिससे सम्बन्धित एक वाद पत्र रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया था, जिसमें रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा वाद पत्र में अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2018 को निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई तथा अपीलांट को उक्त वाद पत्र में सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2018 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट की माता गोपी बाई का स्वर्गवास आज से करीब 10 साल पूर्व हो चुका है। अपीलांट की माता के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 2 द्वारा वाद पत्र पेश किया गया, जबकि दावा पेश होने से पूर्व में अपीलांट की माता गोपी बाई का स्वर्गवास हो चुका था, जो जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में शामलाती खातेदारी अपीलांट की माता का नाम गोपीबाई दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है, जो कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है तथा अपीलांट के पिता रामचन्द्र व उनके भाई जगन्नाथ, हरल्या उर्फ

डॉ0 अनुपमा टैलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हरलाल का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2044–2063 में दर्ज है। जिसमें उक्त सम्पूर्ण आराजियात में अपीलांट के पिता रामचन्द्र व उनके दोनों भाइयों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था जिसमें से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1998 को जगन्नाथ के पुत्र देवलाल का हिस्सा 1/6 अपीलांट ने खरीद लिया था। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी 1/3 + 1/6 कुल 1/2 हिस्सा यानि रकबा 1.68 हेक्टर आराजी है, जिस पर अपीलांट काबिज काश्त हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ हिस्सा अपीलांट का 1.26 हेक्टर उत्तरी तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.17 हेक्टर व खसरा नम्बर 2986 रकबा 0.24 हेक्टर पूर्वी हिस्सा अलग–अलग दर्ज कर दी गई, जबकि अपीलांट सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा रकबा 1.68 हेक्टर उत्तरी आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जाकर पुनः अपीलांट को आराजियात का बंटवारा करवाते हुए मौके पर कब्जे अनुसार उत्तरी हिस्सा 1.68 हेक्टर पृथक से खातेदार घोषित किया जाये एवं नक्शाट्रेस में दुरूस्त किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018, 22.06.2016, 15.03.2017 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का पुनः बंटवारा करवाया जाकर अपीलांट को उत्तरी हिस्सा 1.68 हेक्टर का पृथक से खातेदार घोषित किया जावे एवं नक्शाट्रेस में दुरूस्ती करवायी जावे एवं उत्तरी हिस्से पर तरमीम की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आर्डर शीट दिनांक 21.12.2015 में अंकित है कि पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप0। प्रतिवादी कम 6 की तलबी रजिस्टर्ड करवायी जावे। शेष के जवाब में पत्रावली दिनांक 17.3.2016 को पेश हो। उसके बाद दिनांक 17.02.2016 की आर्डर शीट में अंकित है कि पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप0 । वकील प्रतिवादी ने कम 1 की तरफ से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। प्रतिवादी कम 2, 3, 4, 5 को 3 बार रूक–रूक कर आवाजे दिलवायी । अदालतन व बकालतन कोई उपस्थित नहीं है इसलिए प्रतिवादी कम 2, 3, 4, 5 की तरफा एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी कम 6 की तलबी रजिस्टर्ड कार्यवाही की जाती है। डाकघर की रसीद दिनांक 02.03.2016 से गोपी बाई पत्नी रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम खेडया जागीर बोहत के पास, जिला बारां को रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाया गया है जिसके लिफाफे पर अंकित है कि **पाने वाली की मृत्यु हो गयी है वापस की जाती है।** इससे साफ जाहिर होता है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी की है वह त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट की माता के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेंट कम 1 ता 2 द्वारा वाद पत्र पेश किया गया, जबकि दावा पेश होने से पूर्व में अपीलांट की माता गोपी बाई का स्वर्गवास हो चुका था, जो जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में शामलाती खातेदारी अपीलांट की माता का नाम गोपीबाई दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है, जो कानून

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016, 15.03.2017, 25.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2023 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा